संख्या-24/2016/948/84-1-16-18बामा/12टीसी

प्रेषक,

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 29 दिसम्बर 2016

विषय- राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन के संचालन हेतु वर्ष 2016-17 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-340/निविमावि-लेखा-7(25)मॉग/2016-17, दिनॉक 24-10-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधिक माप विज्ञान विभाग में राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन के संचालन हेतु वर्ष 2016-17 में श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय की मानक मद "03-मंहगाई भत्ता" में हो रही बचत से रू0 1,00,000/-(एक लाख रूपये मात्र) का पुनर्विनियोग करते हुए लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-106-भार और माप का विनियमन-04-राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन के अन्तर्गत मानक मद-42-अन्य व्यय" में पुनर्विनियोग के माध्यम से कुल 1,00,000/-(एक लाख रूपये मात्र) संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग कर संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का अन्य मदों में व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-7/720/दस-2016 दिनॉक 29 नवम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-24/2016/948(1)/84-1-16 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार ((लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार ((लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
8- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन

(संदर्भ:- बजट मैनुअल का प्रस्तर -158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे अनुदेशों को भली- भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-21 -लेखाशीर्ष 3475- के अन्तर्गत नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उ0प्र0 का अधिष्ठान) वित्तीय वर्ष 2016-17

(भारत सरकार द्वारा प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु आबंटन का प्रस्ताव) (धनराशि हजार रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान (विनियोग) (2-5)
1	2	3	4	5	6
3475-00-106-03-00-03	20,18,66	10,58,67	100	100	20,17,66
योग-	20,18,66	10,58,67	100	100	20,17,66

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
3475-00-106-04-00-42	27,24	28,24	100	100	28,24
योग-	27,24	28,24	100	100	28,24

(1) स्तम्भ-3 में बचतों का कारण संबंधित मदों में अब तक अपेक्षित बिल प्राप्त न होना है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित मद में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित धनराशि राज्य उपभोक्ता हैल्प लाइन की स्थापना/संचालन में व्यय हेतु अपेक्षित है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
अनु सचिव।
खाद्य एवं रसद विभाग।

संख्या- आर0ई0 224/ई-7-/दस-2016 दिनांक 07-12-2016

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(अवधेश कुमार खरे)
अनु सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-24/2016/948/84-1-13-18बामा/2012टी0सी0 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उ0प्र0, लखनऊ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से,

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in